

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1) आ०प्र०एवंसहा/सामान्य/2016/ ७४४-५७ जयपुर, दिनांक ८.२.२०१८

जिला कलकटर,
अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
चूरू, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़,
जोधपुर, नागौर, पाली, कोटा, राजसमन्द,
उदयपुर, राजस्थान।

विषय:- खरीफ फसल 2016 (सम्वत् 2073) में 2 हैक्टर तक (SMF) भूमि धारिता वाले पात्र काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खरीफ फसल 2017 (सम्वत् 2073) में सूखे से 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत खराबा वाले दो हैक्टर तक भूमि धारिता वाले लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। अतः विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक 10276-92 दिनांक 15.9.2017 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए उक्त श्रेणी के प्रभावित काश्तकारों को आप द्वारा विभाग को गिरदावरी रिपोर्ट 7डी के साथ प्रपत्र 1,2,3,4,5 में प्रेषित संख्या के अनुसार पात्र काश्तकारों को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोर्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता का वितरण कराने हेतु ऑन लाईन बजट मांग दिनांक 13.2.2018 तक कर दिनांक 5.3.2018 तक पात्र काश्तकारों के खातों में कृषि आदान अनुदान राशि का हस्तानान्तरण कर लाभान्वित कृषकों की सूची वैबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।

सवदीय
शासन उप सचिव